बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 (1988) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पलामू संप्रति पुलिस महानिरीक्षक, (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा दाखिल ओ0ए0 सं0 – 598/2006 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पटना पीठ, पटना द्वारा दि0 – 22.07.10 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दि0 – 31.10.2002 को पारित आदेश को निरस्त कर आदेश प्राप्ति के तीन माह के अंदर नवीन सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। इस न्यायादेश के आलोक में श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 ने ज्ञापांक – 571/गो0 दि0 – 23.08.10 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर न्यायसंगत आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।

2) ओ0ए0 सं0 – 598/2006 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ, पटना द्वारा दि0 – 22.07.10 को पारित न्यायादेश तथा श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में मामले की गहन समीक्षा की गई।

3) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 16.12.95 को तत्कालीन उपायुक्त, पलामू ने सूचित किया कि दि0 – 15.12.95 को लगभग साढ़े सात बजे संध्या पचास–साठ उग्रवादियों द्वारा मनातू प्रखंड (पलामू जिला) के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्री भवनाथ झा की हत्या प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित उनके निवास में गोली मारकर कर दी। गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार के संयुक्त जाँच दल ने अपने जाँच रिपोर्ट में यह अंकित किया कि श्री पाण्डेय ने अपने पदस्थापन काल में जिला के सभी अंचलों से अंचल गार्ड पाँच बजे संध्या थाना मुख्यालय में बुला लेने का आदेश निर्गत किया था जो सरकारी निदेश और परिपत्रों के विरूद्ध था। अंचल गार्ड को वापस बुलाने के संबंध में उक्त निर्णय लेने से पूर्व उन्होंनें (श्री पाण्डेय) पुलिस उप–महानिरीक्षक, पलामू रेंज तथा उपायुक्त पलामू से कोई विमर्श नहीं किया और न ही उनकी सहमति प्राप्त की। श्री पाण्डेय द्वारा यह जानते हुए भी कि श्री झा कि जान को खतरा है श्री झा की सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। संयुक्त जाँच दल द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की गई।

4) तदोपरांत राज्य सरकार ने ज्ञापन सं0 – 6001 दि0 – 07.06.97 द्वारा श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 के विरूद्ध नियम 6 एवं 8 अ0भा0सेवा (अनु0 एवं अपील) नियमावली 1969 के अंतर्गत प्रस्तावित जाँच के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करने की अपेक्षा की गई।

5) श्री अरविंद पाण्डेय,भा0पु0से0, (1988) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पलामू पर मनातू प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलामू श्री भवनाथ झा कि उग्रवादियों द्वारा की गई हत्या के मामले में अपने दायित्वों के निर्वहन में अनमनस्कता एवं लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। श्री पाण्डेय पर निम्न आरोप लगाये गये:–

(i) श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0, (1988) के पुलिस अधीक्षक,पलामू के पद पर पदस्थापन के दौरान दि0 – 15.12.95 को संध्या साढ़े सात बजे मनातू प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री भवनाथ झा की हत्या उग्रवादियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई। प्रतिवेदन के अनुसार इस हत्या के पीछे एम0सी0सी0 उग्रवादियों का हाथ बताया गया। श्री पाण्डेय, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पलामू के विरूद्ध आरोप लगाया गया कि उन्होंनें अपने पदस्थापन काल में जिला के सभी अंचलों से अंचल गार्ड पाँच बजे संध्या थाना मुख्यालय में बुला लेने का आदेश निर्गत किया था जो सरकारी निदेश एवं परिपत्रों के विरूद्ध था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत वितंतु संवाद सं0 – 2475 दि0 – 09.07.95 की प्रतिलिपि संलग्न की गई। अंचल गार्ड को थाना मुख्यालय में बुला लेने संबंधी उक्त निर्णय लेने से पूर्व श्री पाण्डेय द्वारा पुलिस उप–महानिरीक्षक, पलामू रेंज और उपायुक्त, पलामू से कोई विमर्श नहीं किया गया और न ही उनकी सहमति ली गई।

(ii) श्री पाण्डेय द्वारा इस बात की भी समीक्षा नहीं की गई कि दिन में भी अंचल गार्ड अंचल/प्रखंड में रहते हैं या नहीं। जाँच के दौरान थाना प्रभारी, मनातू ने बतलाया कि वे दिन में भी अंचल गार्ड थाना में ही रखते थे और इस बात की सूचना उन्होंनें आरक्षी अधीक्षक, पलामू को वितंतु संवाद द्वारा दे दी थी।

(iii) तत्कालीन उपायुक्त,पलामू ने अपने पत्रांक – 2855 दि0 – 15.11.95 द्वारा स्पष्ट रूप से पुलिस अधीक्षक,पलामू से यह अनुरोध किया था कि सभी अंचल/प्रखंड कॉलोनी में सुरक्षात्मक दृष्टि से अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति अत्यंत आवश्यक है इसलिए सरकारी परिपत्र के आलोक में सभी अंचलों में पूर्णकालीन अंचल गार्ड प्रतिनियुक्त किया जाय। उपायुक्त,पलामू के इस अनुरोध के बावजूद श्री पाण्डेय द्वारा अंचल गार्ड को पूर्णकालीन रूप में अंचल में रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी पकार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी उपायुक्त, पलामू के माध्यम से मनातू प्रखंड में अंचल गार्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था (उपायुक्त कार्यालय, पलामू का ज्ञापांक – 3087 दि0 – 10.12.95)। परंतु इस पर भी श्री पाण्डेय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, पलामू शाखा ने अपनी दि0 – 05.12.95 की बैठक में पूर्व की तरह 24 घंटे प्रखंड परिसर में नियमित रूप से सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति अंचल अधिकारी के नियंत्रण में करने का अनुरोध किया था। इस बैठक की कार्यवाही संघ के ज्ञापांक – 11 दि0 – 06.12.95 द्वारा श्री पाण्डेय को भेजी गई। श्री पाण्डेय द्वारा इस पत्र के आलोक में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

6) ज्ञापांक – 6001 दि0 – 07.06.97 के आलोक में श्री पाण्डेय द्वारा विस्तारित समय सीमा के अंदर बचाव बयान समर्पित नहीं करने के कारण श्री पाण्डेय पर लगाये गये आरोपों के संबंध में साक्षात जाँच की गई। श्री पाण्डेय द्वारा दि0 – 20.09.97 को अपना बचाव बयान समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी ने दि0 – 29.09.99 को अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध लगाये गये आरोप सं0 – 1 एवं 2 को प्रमाणित नहीं पाया गया तथा आरोप सं0 – 3 को प्रमाणित माना गया।राज्य सरकार द्वारा जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा की गई।जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्र सं0 – 94 दि0 – 05.01.2000

द्वारा श्री पाण्डेय को प्रेषित करते हुए उनसे जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया समर्पित करने का अनुरोध किया गया। श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित उनकी प्रतिक्रिया अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 356 / गो0 दि0 – 24.01.2000 द्वारा विभाग में प्राप्त हुई।

7) जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित उनकी प्रतिक्रिया तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने श्री पाण्डेय पर वृहद दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया। विभागीय पत्रांक – 3755 दि0 – 27.03.2002 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को प्रस्तावित दंड के संबंध में परामर्श देने हेतु अभिलेख प्रेषित किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ने दि0 – 12.07.2002 को प्रस्तावित दंड पर अपना परामर्श गृह सचिव, बिहार, पटना को प्रेषित किया जिसमें श्री पाण्डेय को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन में से दो वेतन वृद्धि घटाकर दो वर्ष तक वेतन निर्धारित करने का दंड देने की अनुशंसा इस शर्त के साथ की कि वेतन घटाने की उक्त अवधि में कोई वेतनवृद्धि अर्जित नहीं की जाएगी तथा वेतन घटाने का प्रभाव उनके अगले वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के रूप में पड़ेगा।

8)

(i) श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 पर लगाये गये आरोप, जाँच पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन,श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण / प्रतिक्रिया तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा की गई। समीक्षा के क्रम में जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय पर लगाये गये आरोप सं0 – 1 एवं 2 को प्रमाणित नहीं पांया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय पर लगाये गये आरोप सं0 –3 को प्रमाणित पाया गया। आरोप सं0 – 3 के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि श्री पाण्डेय प्रखंड विकास पदाधिकारी मनातू एवं उपायुक्त पलामू के स्पष्ट अनुरोध के बावजूद स्वर्गीय भवनाथ झा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनातू को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करने के दोषी प्रतीत होते हैं। श्री पाण्डेय का यह कथन कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों के प्रतिनियुक्ति से भी स्थिति में कोई प्रभावकारी बदलाव नहीं आता स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्री पाण्डेय का यह कथन कि स्वर्गीय भवनाथ झा की हत्या एम0सी0सी0 द्वारा नहीं बल्कि उनके दुश्मनों द्वारा की गई है इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि स्वर्गीय भवनाथ झा की हत्या श्री पाण्डेय द्वारा सुरक्षाकर्मियों को थाना मुख्यालय में वापस बुलाने के आदेश निर्गत करने के बाद हुई, जबकि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रखंड / अंचल में अंचलाधिकारी के नियंत्रण में उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मियों को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त करने का सरकार का निर्णय था। श्री पाण्डेय द्वारा न तो उपायुक्त पलामू के अनुरोध के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु कोई कार्रवाई की गई और न ही स्वर्गीय भवनाथ झा के सुरक्षा संबंधी खतरों का ही सही आकलन किया गया।

(ii) फलतः श्री पाण्डेय के विरूद्ध लगाये गये आरोप सं0 – 3 को प्रमाणित पाते हुए श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को सम्यक विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के परामर्श के आलोक में निम्नलिखित दंड अधिरोपित करने का आदेश दिया जाता है:–

(1) श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 को वर्तमान में प्राप्त हो रहे वेतन में से दो वेतन वृद्धि घटा दी जायेगी।

(2) श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 को भविष्य में मिलने वाली दो वेतन वृद्धि अगले दो वर्षों तक नहीं दी जायेगी।

(3) उक्त दंड का प्रभाव संचयात्मक होगा अर्थात उक्त दंड का प्रभाव उनकी भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के रूप में पड़ेगी।

उक्त दंड के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

9) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 (1988) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पलामू सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक, (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को दे दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(धर्मेश्वर ठाकुर)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या – 1/एम02–60–15/2004गृ0आ0................/पटना,दिनांक ,2012

प्रतिलिपि :– राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी दस मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजी जाय।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या – 1/एम02–60–15/2004गृ0आ0 6867/पटना,दिनांक 29.8.12 ,2012

प्रतिलिपिः– सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली/ महालेखाकार (ले0 एवं हक) बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं श्री अरविंद पाण्डेय, भा0पु0से0 (1988), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पलामू सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.8.12

सरकार के विशेष सचिव